भारत सरकार

अल्पसंख्यंक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1667

उत्तर देने की तारीख : 15.03.2023

अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए बजटीय आवंटन में कटौती

1667. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका से संबंधित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटनों में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या का वर्ष चार ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका से संबंधित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटनों में इतनी भारी कटौती के क्या कारण है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विशेष रूप से विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

क. शैक्षणिक सशक्तीकरण योजनाएं

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(3) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

ख. रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

(4) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

(5) अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को इक्विटी

ग. विशेष योजनाएं

(6) जियो पारसी : भारत में पारसियों की आबादी में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना

(7) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY)

(8) प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, प्रसार, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन

घ. अवसंरचना विकास कार्यक्रम

(9) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का बजट निम्नलिखित कारणों से कम किया गया था:

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए नए तंत्र को अपनाना, जिसके लिए राज्य नोडल एजेंसियों (SNA) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) को नियुक्त करना आवश्यक था। राज्य सरकारों को धनराशि जारी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, पीएमजेवीके के तहत जारी की गई धनराशि परियोजनाओं से जुड़ी नहीं है और राज्य नोडल एजेंसी (SNA) के खाते में उपलब्ध राशि एक सामान्य पूल का कार्य करती है। 1.03.2023 तक राज्यों के पास उनके एसएनए खाते में 2466.48 करोड़ रु. की अव्ययित राशि है जिसे चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य अपने SNA खाते से व्यय कर सकते हैं। इसके कारण राज्यों को धनराशि जारी नहीं की जा सकी।

(ii) मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं को शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा अपनाए जाने वाले पैटर्न के साथ जोड़ा जाना था। केंद्र सरकार ने बहुत मजबूत तर्क के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज को केवल कक्षा IX और X तक सीमित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले, यह देखा गया है कि प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की भागीदारी राष्ट्रीय औसत के बराबर है। इसके अलावा, इन स्तरों पर छात्र पहले से ही शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शामिल हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी जैसे अन्य लक्षित समूहों के लिए लागू की गई समान योजनाओं के साथ अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व योजना के तहत कवरेज को सुसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

(iii) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत कौशल योजनाओं को पीएम विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) के तहत एकीकृत किया गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों की शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध है।
